

Form No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत - सब डिविजनल ऑफिसर

मुकाम - फुलियाकलां

समना

बनाम जीकराज वगैरे

किस्म मुकदमा - 212 आर टी एक्ट

प्रकरण संख्या - 3 / 2022


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील से जारी हुए
21/2/22	<p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तलबी हेतु दिनांक 16.03.2022 को पेश हो।</p> <p><u>16/3/22</u> <sup>WKS</sup> पत्रावली पेश हुई जिसमें पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधार अवकाश में है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>26/5/22</u> को पेश हो। 3</p> <p><u>26/5/22</u> पत्रावली पेश हुई जिसमें पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधार अवकाश में है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>22/7/22</u> को पेश हो। 3</p> <p><u>22/7/22</u> पत्रावली पेश हुई जिसमें पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधार अवकाश में है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>29/9/22</u> को पेश हो। 3</p> <p><u>29/9/22</u> पत्रावली पेश हुई जिसमें पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधार अवकाश में है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>14/12/22</u> को पेश हो। 3</p> <p><u>14/12/22</u> पत्रावली पेश हुई जिसमें पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधार अवकाश में है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>23/2/23</u> को पेश हो। 3</p> <p><u>23/2/23</u> पत्रावली पेश हुई जिसमें पक्ष उपस्थित P.O. सा अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पधारे/अभियान में पधार अवकाश में है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>11/5/23</u> को पेश हो। 3</p>	

11.05.2023

पत्रावली पैश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। चूंकि इस प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित मूल वाद संख्या 4/2022 अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट को वादीया पक्ष की प्रकरण में गैरहाजरी के कारण अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर, निर्णित कर दिया गया है।

ऐसी स्थिति में इस प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र में आगे कि कार्यवाही इसी स्तर पर स्थगित किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर मूल वादपत्र संख्या 04/22 के साथ नत्थी रहें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाड़ा